न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 62/2024

अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र भादर राम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
2. भादर राम पुत्र तेजाराम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. सोनू पुत्र भादरराम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 16/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 546/541 की कुल 13.3790 हैक्ट भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 547/540 की कुल 5.9440 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 546/541 में वादी का नाम अनिल पुत्र भादर तथा प्रतिवादी संख्या 3 का नाम सोनू पुत्र भादर दर्ज है जबकि वादी का नाम अनिल कुमार पुत्र भादर राम है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का नाम सोनू पुत्र भादरराम है एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 547/540 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम भादर पुत्र तेजाराम दर्ज है जबकि प्रतिवादी स0 2 का सही नाम भादर राम पुत्र तेजाराम है। वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का अनिल कुमार पुत्र भादर राम है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम भादर राम पुत्र तेजाराम है एवं प्रतिवादी संख्या 3 का नाम सोनू पुत्र भादरराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अनिल पुत्र भादर एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम भादर पुत्र तेजाराम व प्रतिवादी संख्या 3 का नाम सोनू पुत्र भादर दर्ज हो जो की गलत है वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अतः राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम अनिल पुत्र भादर एवं प्रतिवादी संख्या 3 का नाम भादर पुत्र तेजाराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम सोनू पुत्र भादर दर्ज है के स्थान पर वादी का अनिल कुमार पुत्र भादर राम है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का नाम भादर राम पुत्र तेजाराम है एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम सोनू पुत्र भादरराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 546/541 की कुल 13.3790 हैक्ट भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 547/540 की कुल 5.9440 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड आदि में वादी का अनिल कुमार पुत्र भादर राम है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का नाम भादर राम पुत्र तेजाराम है एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम सोनू पुत्र भादरराम दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी नाम के संबंध में तस्दीक पेश की गई है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 546/541 की कुल 13.3790 हैक्ट भूमि में वादी अनिल पुत्र भादर के स्थान पर अनिल कुमार पुत्र भादरराम व प्रतिवादी स0 3 सोनू पुत्र भादर के स्थान पर सोनू पुत्र भादरराम के अंकन की घोषणा की जाती है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 547/540 की कुल 5.9440 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादी स0 2 भादर पुत्र तेजा राम की जगह भादर राम पुत्र तेजाराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच अनिल पुत्र भादर एवं भादर पुत्र तेजाराम एवं सोनू पुत्र भादर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए इनका नाम क्रमशः अनिल पुत्र भादर एवं भादर पुत्र तेजाराम एवं सोनू पुत्र भादर नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 62/2024

अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र भादर राम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
2. भादर राम पुत्र तेजाराम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. सोनू पुत्र भादरराम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 62 सन 2024 निर्णय दिनांक 16/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 546/541 की कुल 13.3790 हैक्ट भूमि में वादी अनिल पुत्र भादर के स्थान पर अनिल कुमार पुत्र भादरराम व प्रतिवादी स0 3 सोनू पुत्र भादर के स्थान पर सोनू पुत्र भादरराम के अंकन की घोषणा की जाती है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 547/540 की कुल 5.9440 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादी स0 2 भादर पुत्र तेजा राम की जगह भादर राम पुत्र तेजाराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच अनिल पुत्र भादर एवं भादर पुत्र तेजाराम एवं सोनू पुत्र भादर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए इनका नाम क्रमशः अनिल पुत्र भादर एवं भादर पुत्र तेजाराम एवं सोनू पुत्र भादर नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 16/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:19 IST
Reason: SelfAttested